परीक्षा समिति की बैठक दिनांक: 04.07.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 04.07.2018, दिन बुधवार को अपराह्न 04:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 आर0के0 गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	श्री उमानाथ, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की सामन्य बैठक दिनांक 06.06.2018 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

   परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 06.06.2018 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

2. **श्री विशम्भर दयाल महाविद्यालय, डबरापुर, कानपुर देहात में बी0एससी0 तृतीय वर्ष, विषय वनस्पति विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा की शिकायत पर गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार :–**

   डॉ0 नीरज शुक्ला एवं डॉ0 राम गोविन्द यादव ने अपने पत्र दिनांक 11.04.2018 के द्वारा श्री विशम्भर दयाल महाविद्यालय, देबरापुर, कानपुर देहात में दिनांक 10.04.2018 की प्रायोगिक परीक्षा में अव्यवस्था, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले उपकरणों को उपलब्ध न कराने, अनुचित कार्य करने हेतु दवाब बनाने व प्रबन्धक द्वारा धमकी देने की शिकायत की गई है।

   उक्त शिकायत की जाँच हेतु डॉ0 नीरज, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय एवं डॉ0 राजेश कुमार, अधिष्ठाता जीवन विज्ञान संकाय को नामित किया गया। जाँच अधिकारियो द्वारा जाँच करते हुए अपने जाँच आख्या में निष्कर्ष दिया, जो निम्नवत् है :–

   1. महाविद्यालय के नियमित नियुक्त प्राचार्य एवं प्रवक्ता–वनस्पति विज्ञान प्रश्नगत निर्धारित परीक्षा के दिनांक 10.04.2018 को अनुपस्थित बताये गए और उनका कभी भी जाँच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होना असहयोग की भावना इंगित करता है।
   2. परीक्षा की निर्धारित तिथि 10.04.2018 को दोनो परीक्षक, परीक्षार्थी एवं महाविद्यालय के कर्मचारी केन्द्र KD57 पर आये थे।
   3. परीक्षकों द्वारा नकलविहीन परीक्षा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर महाविद्यालय कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया।

4. प्रबन्धक के मन माफिक परीक्षा न हो पाने की परिस्थिति में परीक्षकों के साथ इस सीमा तक दुर्व्यवहार किया गया, धमकाया गया कि घबराकर परीक्षकों को भागना पड़ा।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राचार्य/प्रबन्धक, श्री विशम्भर दयाल महाविद्यालय, डबरापुर, कानपुर देहात ने दिनांक 10.04.2018 की वनस्पति विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा सम्बन्धी इतने गम्भीर प्रकरण की न तो सूचना दी और न ही परीक्षकों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत की। प्रबन्धक ने अपने बयान दिनांक 17.05.2018 में प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु परीक्षकों के दिनांक 10.04.2018 को (KD57) केन्द्र पहुँचने और परीक्षार्थियों के सामने ही परस्पर अभद्र व्यवहार एवं परीक्षा न करवाने की बात स्वीकार की है।
6. उपरोक्त परिस्थितियों में परीक्षकों के परीक्षा कराये बिना ही परीक्षा केन्द्र से खिन्न होकर, जान बचाकर भागने का उल्लेख परीक्षा केन्द्र बदलवाने के प्रार्थनापत्र दिनांक 11.04.2018 में नहीं किया गया है।

जब पूर्व में इन्हीं परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा श्री विशम्भर दयाल महाविद्यालय, डबरापुर, कानपुर देहात पर ही सम्पन्न कराने हेतु तिथि निर्धारित की गई थी तो फिर परीक्षा केन्द्र बदलवाना परीक्षा की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है।

इन परिस्थितियों में केन्द्र KD57 पर परीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, परीक्षकों पर गम्भीर मिथ्या दोषारोपण एवं परीक्षा विभाग के अधिकारियों को धोखे में रख कर परीक्षा केन्द्र बदलवाना आदि सामूहिक नकल से भी अधिक गम्भीर अनियमितताएं प्रतीत होती है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उक्त महाविद्यालय को अभद्र व्यवहार की श्रेणी में रखते हुए 02 वर्षो के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त, स्थायी सम्बन्धन/नये पाठ्यक्रमों हेतु 2 वर्षो के लिए प्रतिबन्धित एवं रूपये दो लाख अर्थदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/लेखा/यू.एफ.एम.)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

3. **परीक्षा शिकायत निवारण समिति की बैठक दिनांक 18.06.2018 के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णय पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि परीक्षा शिकायत निवारण समिति ने अपनी बैठक दिनांक 18 जून, 2018 में बी0एससी0 एवं बी0ए0 में विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की मूल्यांकन प्रक्रिया से सम्बन्धित शिकायतों का अनुशीलन किया। समिति ने शिकायती छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का विशेष चुनौती मूल्यांकन अनुभाग के द्वारा शिकायतकर्ताओं की सैम्पल उत्तर पुस्तिकाओं को दो बाहरी विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन करवाया गया एवं परिणामों की आख्या पर विचार किया। समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए तथा छात्रहित में अनुशंसायें की है :–

1. सैम्पल उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन आख्या के विवेचना पर समिति ने पाया कि छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांकों में अंतर नहीं पाया गया। अतः मूल्यांकन मूल परीक्षकों ने सही प्रकार से किया है क्योंकि विशेषज्ञों की सैम्पल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विशेषज्ञों के द्वारा किए गए मूल्यांकन परिणामों में "नो चेन्ज" प्राप्त हुए है।
2. वर्ष 2018 की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्र/छात्राएं अनुत्तीर्ण हो गये है, अतः छात्रहित में समिति अनुशंसा करती है कि इस वर्ष छात्र/छात्राओं को एक विषय के दो प्रश्नपत्रों में बैकपेपर में बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अभी तक एक विषय में एक प्रश्नपत्र में ही बैकपेपर की सुविधा छात्र/छात्राओं को अनुमन्य थी।
3. विश्वविद्यालय छात्र/छात्राओं को विभिन्न विषयों में चैलेन्ज मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है तथा चैलेन्ज मूल्यांकन की फीस रूपया 3000/– प्रति प्रश्नपत्र है। समिति छात्रहित में अनुशंसा करती है कि चैलेन्ज मूल्यांकन का शुल्क एक वर्ष के लिए रूपया 2000/– प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित किया जाना उपयुक्त रहेगा। चैलेन्ज मूल्यांकन में पूर्णांक के 15% से अधिक अंक बढ़ने पर, अंक बढ़ाये जाने के वर्तमान प्रावधान पर संशोधन हेतु, यदि सम्भव हो, तो परीक्षा समिति द्वारा निर्णय करने के लिए अधिकृत किया गया।

परीक्षा शिकायत निवारण समिति की अनुशंसा पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे छात्रा/छात्राओं, जिन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिकायत की थी, उनकी सैम्पल उत्तर पुस्तिकाओं मे कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है। अतः उनके परीक्षा परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय। ऐसे छात्र चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते है।

2. परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वर्ष–2018 की संस्थागत/व्यक्तिगत बैकपेपर परीक्षा में स्नातक स्तर की कक्षाओं के छात्र/छात्राएं एक विषय के अधिकतम 02 प्रश्नपत्रों में आवेदन कर सकते है। यह व्यवस्था सिर्फ वर्ष–2018 की बैकपेपर परीक्षा के लिए ही होगी।
3. परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चुनौती मूल्यांकन शुल्क ₹ 3000/– के स्थान पर ₹ 2000/– कर दिया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2018–19 से चुनौती मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम में 15% से अधिक परिवर्तन होने पर पहली बार में आरोपित परीक्षक को 01 वर्ष के लिए, दूसरी बार में परिवर्तन होने पर 03 वर्ष के लिए तथा तत्पश्चात चुनौती मूल्यांकन में परिवर्तन होने पर सदैव के लिए मूल्यांकन कार्य से विरत (डिबार) किया जाय।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/लेखा/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

4. **इंस्टीट्यूट आफ लीगल स्टडीज में उपस्थिति कम होने पर 05 छात्रों के प्रकरण पर विचार :–**

निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज विभाग द्वारा 60% कम उपस्थित वाले 05 छात्रों को एलएल.एम. द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराने का अनुरोध किया है। परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों को विश्वविद्यलाय नियमानुसार वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त परीक्षार्थियों की उपस्थिति 60% से कम है तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार उक्त परीक्षार्थियों को उपस्थिति कम होने के कारण उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जा सकता है।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (सेमे. अतिगोपनीय/सेमे. परीक्षा)

5. **स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा में ग्रेडिंग के स्थान पर अंक प्रदान करने के पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 05.07.2015 के कार्यवृत्त के सप्लीमेण्ट्री एजेण्डा की मद सं0–03 "विज्ञान संकाय के संयोजकों की बैठक दिनांक 04.07.2015 में लिए गए निर्णय के क्रम मे विज्ञान संकाय के अन्तर्गल बी.एससी. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में प्रयोगात्मक परीक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम एवं बी. एससी. तृतीय वर्ष में पूर्ववत व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी" एवं परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 29.10.2015 के कार्यवृत्त की मद सं0–1(क) में स्नातक स्तर में बी0एससी0 प्रथम वर्ष में ग्रेडिंग की व्यवस्था लागू की गई है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी0एससी0 प्रथम वर्ष, सत्र 2018–19 से प्रायोगिक परीक्षा में ग्रेडिंग व्यवस्था समाप्त मानी जाय साथ ही प्रकरण विद्यापरिषद को सन्दर्भित कर दिया जाय।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा/अकादमिक)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. **एलएल0बी0 पाठ्यक्रम बैच 2011–14 के ऐसे छात्रों, जिनकी 06 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, उन्हें केवल किसी एक सेमेस्टर के किसी एक प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि एलएल.बी. पाठ्यक्रम, बैच 2011–14 के ऐसे परीक्षार्थी के प्रार्थनापत्र प्राप्त हो रहे है, जिनकी 06 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा किसी एक सेमेस्टर में बैक होने के कारण परीक्षाफल अनुत्तीर्ण है। उक्त छात्रों द्वारा एलएल0बी0 पाठ्यक्रम के एक प्रश्नपत्र में बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से एलएल.बी. पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र जिनकी 06 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। नियमानुसार एलएल.बी. पाठ्यक्रम के ऐसे छात्रों को बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (सेमे. अतिगोपनीय/सेमे. परीक्षा)

2. **कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज, खंदिया, मऊदरवाजा, फर्रूखाबाद (FB56) को नकल कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज, खंदिया, मऊदरवाजा, फर्रूखाबाद ने में दिनांक 09.04.2018 को उड़नदस्ते द्वारा बी0एससी0 प्रथम वर्ष, रसायन विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र कोड–109N, अपराह्न 03.00 से 06.00 बजे की पाली में संदिग्ध स्थिति में परीक्षा होने के आरोप पर

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे। उड़नदस्ते के आरोप पर प्रबन्धन का कथन है कि उड़नदस्ते के निरीक्षण के दौरान परीक्षाएं शान्तिपूर्ण एवं विधिवत् सम्पन्न हो रही थी। उड़नदस्ते के संयोजक डॉ0 अभिनव सिंह ने दिनांक 08.06.2018 को पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दिनांक 09.04.2018 को उन्होंने कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज, खंदिया, मऊदरवाजा, फर्रूखाबाद (FB56) एवं कृष्णा देवी वालिका डिग्री कालेज, आवास विकास, फर्रूखाबाद (FB50) का निरीक्षण किया था। दोनों महाविद्यालयों का नाम समान होने के कारण त्रुटिवश महाविद्यालय का कोड (FB50) के स्थान पर (FB56) अंकित हो गया है। उड़नदस्ते के संयोजक की आख्या के आधार पर त्रुटिवश परीक्षा केन्द्र का कोड गलत अंकित हो जाने के कारण कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज, खंदिया, मऊदरवाजा, फर्रूखाबाद (FB56) का परीक्षा परिणाम नहीं घोषित हो सका है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने उक्त त्रुटि का संशोधित मानते हुए कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज, खंदिया, मऊदरवाजा, फर्रूखाबाद (FB56) को सामूहिक नकल के आरोप से मुक्त मानते हुए महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/लेखा/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

3. **बी0एससी0–आप्टोमीटरी की इण्टर्नशिप की अवधि छः माह से बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि डॉ0 कमल पंत, संकायाध्यक्ष, पैरा मेडिकल संकाय, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के पत्र संख्या–08/UPUMS/2018–19 दिनांक 30.05.018 के माध्यम से सत्र 2013–14 में संचालित हो रहे 03 वर्षीय एवं 06 माह इण्टर्नशिप, बी0एससी0–आप्टोमीटरी पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–5–1/2014(CPP-II) दिनांक 09.06.2014 के निर्देश के अनुसार चार वर्षीय बी0एससी0 आप्टोमीटरी (जिसमें एक वर्षीय इण्टर्नशीप है) किए जाने का अनुरोध किया है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र के निर्देशों के अनुक्रम में बी0एससी0 आप्टामीटरी की इण्टर्नशिप की अवधि छः माह के स्थान पर एक वर्ष करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (सेमे. परीक्षा/सेमे. अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

4. **डॉ0 पवन कुमार श्रीवास्तव, एसो0 प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, डी0एस0एन0 कालेज, कानपुर के पत्र दिनांक 23.02.2018 पर पुर्नविचार हेतु अनुरोध पर विचार :–**

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0–सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/72/2018 दिनांक 12.02.2018 द्वारा डॉ0 पवन कुमार श्रीवास्तव, एसो0 प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, डी0एस0एन0 कालेज, उन्नाव को बी0एससी0 (भाग–3) परीक्षा, सत्र 2016–17 के प्रश्नपत्र कोड–367N, भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र की रचना में की गई शिकायत पर गठित जाँच समिति की जाँच आख्या एवं उस पर प्रश्नपत्र निर्माता डॉ0 पवन कुमार श्रीवास्तव के स्पष्टीकरण का अनुशीलन करने पर स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रश्नपत्र में गंभीर अनियमितता बरती गयी है। उनके द्वारा बनाये गए प्रश्नपत्र के अधिकतर प्रश्न इसी वर्ष छपी ईजी नोट्स पर आधारित है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रश्न एक से अधिक बार भी उसी प्रश्नपत्र में आये है। अतः आदेशानुसार डॉ0 पवन कुमार श्रीवास्तव को आगामी 05 वर्षो के लिए कक्ष निरीक्षण के अतिरिक्त समस्त परीक्षा कार्यो से प्रतिबन्धित किया गया है। डॉ0 पवन कुमार श्रीवास्तव ने अपने पत्र दिनांक 23.02.2018 के माध्यम से विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 12.02.2018 पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया है। डॉ0 श्रीवास्तव ने अपने प्रार्थनापत्र के बिन्दु–03 में परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो में कभी किसी प्रकरण की त्रुटि न होने तथा वर्ष 2016–17 के प्रश्नपत्र रचना के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 04.08.2017 के माध्यम से अवगत कराने तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने कार्यालाय आदेश दिनांक 12.02.2018 पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डॉ0 पवन कुमार श्रीवास्तव, एसो0 प्रोफेसर, डी0एस0एन0 कालेज, उन्नाव को प्रश्नपत्र रचित करने के कार्य से 05 वर्ष के लिए विरत रखा जाय तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यो (प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा, मूल्यांकन इत्यादि) की अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)

5. **सत्र 2017–18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग समिति के द्वारा अभद्रता/आरोप मुक्त/आरोप सिद्ध महाविद्यालयों के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग समिति के द्वारा अभद्रता/आरोप मुक्त/आरोप सिद्ध महाविद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें सत्र 2018 की मुख्य परीक्षा में उड़नदस्ते की टीम के साथ अभद्रता/दुर्व्यवहार में आरोपित 10 परीक्षा केन्द्र एवं वार्षिक परीक्षा 2018 में सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध पाये गए 44 महाविद्यालय तथा वार्षिक परीक्षा 2018 में सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध पाये गए 30 परीक्षा केन्द्र व वार्षिक परीक्षा 2018 में सामूहिक नकल में आरोप मुक्त पाये गए 138 महाविद्यालय तथा सत्र 2018 की मुख्य परीक्षा में उड़नदस्तों द्वारा आरोपित केन्द्रों में अभ्यर्थियों के सम्बन्धित कक्षा/विषय में गणनाहीन होने से आरोप मुक्त 93 महाविद्यालय हैं।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया दिनांक 06.06.2018 की परीक्षा समिति की बैठक की मद संख्या–03 में उल्लिखित दण्डात्मक एवं वित्तीय अर्थदण्ड निर्धारण की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय/यू.एफ.एम./सम्बधन)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

6. **श्री अबीर चटर्जी, छात्र बी0बी0ए0, बैच 2009–2012 को बी0बी0ए0 पंचम सेमेस्टर की बैकपेपर की अनुमति प्रदान किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि छात्र अबीर चटर्जी, बी0बी0ए0 पंचम सेमेस्टर, बैच 2009–12 ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 30.06.2018 के माध्यम से बी0बी0ए0 पंचम सेमेस्टर में बैकपेपर में कराये जाने का अनुरोध किया है। दयानन्द एकेडमी ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर में बैच 2009–12 में बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा वर्ष 2012 में अनुक्रमांक–0200717 से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने के समय परीक्षाफल सत्यापन Direct Texes प्रश्नपत्र में IN होने के कारण पंचम सेमेस्टर में कैरी ओवर (Carry Over) दर्शाया गया है। बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि 07 वर्ष है तथा छात्र के कथन के अनुसार पंचम सेमेस्टर में बैकपेपर भरते समय वेबसाइट पर पेपर कोड गलत प्रदर्शित होने के कारण उसने Direct Texes के स्थान पर Marketing Research का बैकपेपर दे दिया था इसलिए उसका परीक्षा परिणाम अभी भी RD है। तकनीकी त्रुटि से छात्र का परीक्षाफल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण में घोषित हो गया है, जिसके कारण छात्र ने बैकपेपर देने के सम्बन्ध मे कोई भी प्रयास नहीं किया है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से छात्र अबीर चटर्जी, बी0बी0ए0 पंचम सेमेस्टर, बैच 2009–12 को Direct Texes के प्रश्नपत्र में बैकपेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (सेमे.परीक्षा/सेमे. अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

7. **विधि पाठ्यक्रम के एक छात्र के .चुनौती मूल्यांकन के अंकों में बढ़ोत्तरी के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि विधि पाठ्यक्रम के छात्र अवधेश प्रताप सिंह ने अपने ईमेल के माध्यम से चुनौती मूल्यांकन की नियमावली व मूल्यांकनकर्ताओं पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां की है। जिसमें मूल्यांकनकर्ताओं पर अंकों की कटौती किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही का अनुरोध किया है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया उक्त छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल मूल्यांकनकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी जाय कि भविष्य में इस प्रकार के मूल्यांकन की पुनरावृत्ति न की जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)

8. **सत्र 2017–18 की संस्थागत परीक्षा की छूटी हुई प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर विचार :–**

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया सत्र 2017–18 की संस्थागत परीक्षा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाएं सम्पन्न करा ली जाय तथा उक्त व्यवस्था को अध्यादेश में समाहित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

9. **बी0एड0/एम0एड0 की छूटी हुई प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर विचार :–**

डीन्, शिक्षा संकाय, प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल ने अवगत कराया किया कि सत्र 2016–17 की बी0एड0/एम0एड0 की छूटे हुए परीक्षार्थियों की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाएं अभी तक सम्पन्न नहीं करायी गयी है। उक्त पाठ्यक्रम के छूटे हुए परीक्षार्थियों की छूटी हुई परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से एन0सी0टी0ई0 की नियमावली में उक्त छूटी हुई प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने सम्बन्धी प्राविधान की जाँच करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किए जाने निर्णय लिया :–

1. प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, डीन्, शिक्षा संकाय– अध्यक्ष
2. डॉ0 मुनेश कुमार, विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय– सदस्य
3. विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर– सदस्य

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 नीलिमा गुप्ता)
कुलपति

4.7.18
(उमानाथ)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति